

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा**  
(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 07/2017 – रेफरेन्स

1 राजस्थान सरकार जरिए बनाम  
तहसीलदार माण्डलगढ

1. श्रीमती बख्ती बेवा देवा नन्दा  
मोती उदी पिता देवा लाल रेगर  
साकिन गेणोली  
2. मेनेजर भारतीय स्टेट बैंक  
माण्डलगढ

-प्रार्थी

-विपक्षीगण

**कार्यवाही अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,  
1956 रेफरेन्स प्रस्तुति बाबत**

उपस्थित –

1. परोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण उपस्थित नहीं – एक तरफा कार्यवाही

**निर्णय**

दिनांक 25.03.2019

प्रार्थी तहसीलदार, माण्डलगढ ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध यह रेफरेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया कि मौजा गेणोली तहसील माण्डलगढ ने राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2010-12 के अनुसार आराजी नं. 206 रकबा 1.17 मंदिर /मूर्ति श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम पर दर्ज होकर पुजारी श्री रूघा पिता भवाना बोला सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त ग्राम के नवीन बंदोबस्त में दौराने भूप्रबंध विभाग द्वारा उक्त भूमि के नवीन आराजी नं. 179 कीता 1 रकबा 2.06 कायम कर श्री देवा पिता रूघा बोला सा. देह के नाम दर्ज कर दी गयी। पूर्व बन्दोबस्ती रिकार्ड अनुसार स्पष्ट है कि यह भूमि मंदिर/मूर्ति की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड थी जिसे नवीन बंदोबस्त रिकार्ड में भी उक्तानुसार भू प्रबन्ध अधिकारी को इन्द्राज करना चाहिए था जो नही करके अप्रार्थी के पूर्वजों के नाम इन्द्राज किया जो विधि सम्मत नहीं है। उक्त भूमि मूलतः मंदिर/मूर्ति की है जिसे सदैव अवयस्क माना गया है। जिसको किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी अधिकारी द्वारा अन्य व्यक्तियों के नाम पर रद्दोबदल नही किया जा सकता है। भू प्रबंध अधिकारी द्वारा यह इन्द्राज बिना किसी अधिकारों के नियमों के विपरीत किया गया है। वर्तमान चालू रिकार्ड की जमाबंदी संवत् 2071-2074 में अप्रार्थीगण श्रीमती बख्ती बेवा देवा नन्दा मोती उदी पिता देवा लाल रेगर सा. देह के नाम पर अवैधानिक रूप से खातेदारी हक के रूप में दर्ज हुयी है। अप्रार्थीगण के नाम यह भूमि श्री रूघा पिता भवाना बोला सा. देह के विरासत/बेचान के फलस्वरूप दर्ज हुयी है। अतः निवेदन है कि हाल आराजी नं. 179 कीता 1 रकबा 2.06 की भूमि अप्रार्थीगण के खाते से हटाये जाकर मंदिर/मूर्ति श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

रेफरेन्स प्रतिवेदन दिनांक 18.12.2017 को पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षीगण को वज़ह जाहिर कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी।

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया, जिसके उपरान्त यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2010 से 2012 अनुसार आराजी सं. 206 किता 1 रकबा 1.17 भूमि मंदिर/मूर्ति श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम पर दर्ज होकर पुजारी श्री रूघा पिता भवाना बोला सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी।

भूप्रबन्ध विभाग के मिलान खसरा संवत् 2022 अनुसार ग्राम गेणोली अनुसार के साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 1.17 बीघा के हाल आराजी नम्बर 179 रकबा 2.06 बीघा बने है। जिसमें भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मंदिर श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के बजाय रूघा पिता भवाना बोला सा. देह के नाम गलत रूप से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया।

ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2028 से 2032 अनुसार खसरा नम्बर 179 रकबा 2.06 बीघा में रूघा पिता भवाना बोला सा. देह की विरासत से देवा पिता रूघा के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया।

ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 अनुसार खसरा नम्बर 179 रकबा 2.06 बीघा में देवा पिता रूघा बोला सा. देह के विरासत से मु. बख्ती बेवा देवा, नन्दा मोती उदी पिता देवा के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया।

ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 अनुसार खसरा नम्बर 179 रकबा 2.06 बीघा में भी मु. बख्ती बेवा देवा, नन्दा मोती उदी पिता देवा के नाम दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 के अनुसार मंदिरमूर्ति अवयस्क हैं, जिनके अधिकारों को कानून ने प्रोटेक्ट किया हैं और ऐसे अंकन जो अवयस्क के हितों के विपरीत हो वे सदैव शून्य, अवैध व निष्प्रभावी होते है एवं राजस्व रिकार्ड में मूर्ति के नाम पर अंकन के साथ कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी मंदिरमूर्ति को धारित भूमि किसी शाश्वत के नाम दर्ज अंतरित की जाना सर्वथा अवैध एवं शून्य हैं।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 का संक्षिप्त इस प्रकार हैं—


46 (2) त – देवता के खातेदारी अधिकार— विधि की दृष्टि में एक हिन्दू देवमूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के प्रवर्तन से देवमूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाशत भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। पुजारी को यदि जमीन भगवान की मूर्ति के भोग-राग के लिये दी गयी हो, तो पुजारी उस जमीन पर अपनी खातेदारी दर्ज नहीं करवा सकता हैं।

इस प्रकरण में तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा प्रचलित लोकनीति के तहत रेफरेंस का आवेदन पेश कर साबिक रेकॉर्ड में देवता के नाम खातेदारी हक से पुजारियों के द्वारा अपने नाम पर खातेदारी अधिकार से इन्द्राज करवा लिया एवं सेटलमेंट के दौरान नवीन राजस्व रेकॉर्ड में भी मूर्ति के पुजारियों के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज हो जाने से संज्ञान में आने पर यह रेफरेंस प्रस्तुत करते हुए श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम पुनः इन्द्राज किए जाने का अनुतोष किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि जमाबन्दी संवत् 2010-2012 अनुसार आराजी सं. 206 रकबा 1.17 बीघा भूमि श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। ऐसी भूमि के लिए विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का रेफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतएव -

### आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, माण्डलगढ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम गेणोली तहसील माण्डलगढ के जमाबन्दी संवत् 2010-2012 अनुसार खसरा नम्बर 206 कीता 1 रकबा 1.17 बीघा भूमि श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम दर्ज होकर पुजारी रूघा पिता भवाना बोला साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। भूप्रबन्ध विभाग राजस्थान राज्य के मिलान खसरा संवत् 2022 के साबिक आराजी नम्बर 206 रकबा 1.17 बीघा के हाल आराजी नम्बर 179 रकबा 2.06 बीघा बने जिसमें श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह का नाम हटाकर रूघा पिता भवाना बोला साकिन देह के नाम विधि विरुद्ध दर्ज कर दी गयी। ग्राम गेणोली तहसील माण्डलगढ की जमाबन्दी संवत् 2028-32 के खसरा नम्बर 179 रकबा 2.06 में उक्त भूमि रूघा पिता भवाना बोला साकिन देह की विरासत से देवा पिता रूघा के नाम दर्ज की गयी। जमाबन्दी संवत् 2051-54 के खसरा नम्बर 179 रकबा 2.06 बीघा में देवा पिता रूघा की विरासत से मु. बख्ती बेवा देवा, नन्दा मोती उदी पिता देवा रेगर के नाम दर्ज रिकार्ड किया गया जो जमाबन्दी संवत् 2071-74 में खसरा नं. 179 रकबा 2.06 बीघा भूमि में भी बख्ती बेवा देवा, नन्दा मोती उदी पिता देवा रेगर के नाम दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। इस प्रकार ग्राम गेणोली तहसील माण्डलगढ के साबिक खसरा नम्बर 206 कीता 1 रकबा 1.17 बीघा के हाल नम्बर 179 रकबा 2.06 बीघा जो श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम पर दर्ज थी जिसे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुजारी के नाम विधि विरुद्ध दर्ज कर दी गयी। जिसे पुनः विपक्षी बख्ती बेवा देवा, नन्दा मोती उदी पिता देवा रेगर सा. देह खातेदार के नाम से हटाया जाकर श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम इन्द्राज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस प्रेषित करने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राकेश कुमार)  
अति. जिला कलक्टर  
भीलवाडा